न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 94/2017(2017/01181)

1. सोसर देवी पत्नी पोलू मोग्या जाति मोग्या निवासी ग्राम जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–1. श्री लक्ष्मीचंद मीणा – वकील प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी–अप्रार्थी

–:आदेश:–

दिनांक–25.5.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है।

खाता सख्या नया	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
5	3872	0.48	बारानी 3

वाद वर्णित आराजीयात में वादीया के 40–50 वर्षो से कब्जे कास्त में चली आ रही है । वादीया वाद वर्णित आराजीयात को बजंर भूमि थी जिसमें 10, 20 हजार रुपये लगाकरके फसल बोने योग्य बनाकरके खेती करती चली आ रही है। वादीया वाद वर्णित आराजीयात पर बेरोक टोक 40–50 वर्षो से कास्त करती चली आ रही है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात को वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में घोषित किया जाकर लगान की व्यव्यस्था कि जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नक्शे में अलग से तरमीम किया जाकर खातेदार घोषित किया जावें जो न्यायहित में होगा । वाद वर्णित आराजीयात को वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर तरमिम तकमिल किया जाना एंव राजस्त रिकार्ड मे वादीया को बतौर खातेदार घोषित किया जाना न्यायाहित मे होगा ! वादीया को राजस्व रिकार्ड मे खातेदार लगान कि अलग से व्यवस्था वाद वर्णित खसरा में से 0.48 हे. आराजीयात को वादीया के खातेदारी में घोषित किया जाकर अलग से नक्शे में तरमीम किया जाकर लगान की वयस्था अलग से की जावे । वादीया ने उक्त वाद वर्णित आराजीयात को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने का प्रतिवादी को किया लेकिन दर्ज नही किया वादीया ने खातेदारी दर्ज करने बाबत कई मर्तबा निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने कोई कार्यवाही नही की । वाद वर्णित को आराजीयात को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायाहित मे आवश्यक है ! चूंकि उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादी के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है ! इस प्रकार उक्त वाद वर्णित आराजीया मे वादीया के नाम दर्ज करने लायक है औरo उक्त वाद वर्णित आराजीयात को वादीया के नाम खातेदारी मे दर्ज किया जाने वास्ते न्यायहित में होगा । वाद वर्णित आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज किया जाकर वादीया के नाम नक्शे में तरमीम किया जाकर अलग से लगान की व्यवस्था किया जाना न्यायहित में होगा यदि ऐसा नहीं किया गया तो वादीया को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.01 13:29:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

पूर्ति किया जाना संभव नही होगा । यदि वाद वर्णित आराजियात वादीया जो मोके पर 40-50 वर्षों से काश्त करती चली आ रही है यदि अन्य व्यक्ति के दर्ज किया जाता है तो वादीया को असहनिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा और वादीया को अनेका अनेक मुकदमों का समना करना पड़ेगा जिसकी असहनिए क्षति होगी। वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 01/05/2017 को उत्पन्न हुआ कि वाद वर्णित आराजीयात को जो वादीया की कब्जे कास्त की आराजीयात रकबा 0.48 हे. आराजीयात का प्रतिवादी से खातेदारी मे दर्ज करवाने का निवेदन किया तो प्रतीवादी ने कहा कि कोर्ट से आदेश लाने पर नाम होगा इसलिए वाद पत्र पेश करना लाजिम आया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी की ओर से जवाब सरकार प्राप्त हुआ अकि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 अस्वीकार है प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 [illegible] अनुसार स्वीकार है पैरा संख्या 3 से 7 अस्वीकार है प्रार्थीया द्वारा 01.1.2005 से लगातार कब्जा काश्त के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। अतः अस्वीकार है पैरा संख्या 8 से 15 कानूनी है व प्रार्थीया सरकार जमीन हडपने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सिवायचक होने से प्रतिवादी को उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने का अधिकार है राजहित में प्रार्थना पत्र खारिज करवाने का निवेदन अप्रार्थी ने किया। पक्षकारान की बहस सुनी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभापकगण की वहस पर गोर किया। प्रार्थिया लगातार कब्जा कर सरकार जमीन हडपने की नियत से ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थिया द्वारा कब्जा काश्त के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। प्रार्थीया के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीया अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन हांने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नहीं करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.01 13:29:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner